

दिल्ली विकास प्राधिकरण


[वित्त तथा व्यय]

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 13/2013

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 08/2010, दिनांक 30.06.2010 के आंशिक आशोधन में यह सूचित किया जाता है कि डीडीए में मुख्य आयुक्त सरकारी बैठकों तथा सम्मेलनों में हल्के जलपान पर होने वाले मनोरंजन व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए एफ.एम./ ई.एम. डीडीए, के समान पात्र हैं।

परिपत्र संख्या 08/0210 की अन्य शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

इस सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



[मनीष कुमार]

मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.5(07)2010/डीडीए/ 412

दिनांक: 26/6/2013

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, डीडीए के ओएसडी सूचनार्थ;
2. एफएम, ईएम, डीडीए के निजी सचिव;
3. सभी प्रमुख आयुक्त, डीडीए;
4. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I, II तथा III/ उप वित्त सलाहकार (एच)-I, II;
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, आकस्मिकता/ प्रति. (राजपत्र)/ ए.ओ. (ई)- आवास
6. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।
7. केवल हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी।



लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]

दिल्ली विकास प्राधिकरण